न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/359

राजमल आयु 65 वर्ष आत्मज उदयलाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. भोलाशंकर आयु 42 वर्ष आत्मज बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. लोकेश आयु 27 वर्ष आत्मज बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. नरेश आयु 25 वर्ष आत्मज बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. घींसी बाई बेवा स्वर्गीय बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमती दुग्ग्र बाई पुत्री बिरधी लाल पत्नी श्री राजेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमती सुनिता बाई पुत्री बिरधी लाल पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी डाटुन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमती सीमा बाई पुत्री श्री बिरधी लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. सूरजमल आयु 67 वर्ष आत्मज उदय लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. मोहन लाल आयु 58 वर्ष आत्मज उदय लाल जाति ब्राह्मण निवासी तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. श्रीमती मोत्या बाई आयु 55 वर्ष पुत्री उदय लाल पत्नी रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी भोपतपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा ।
11. श्रीमती गीता बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री उदयलाल पत्नी जमनाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. श्रीमती भूला बाई आयु 53 वर्ष पुत्री उदयलाल पत्नी गोविन्द लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली
13. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह शीहर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 598/1168 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 598/1213 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 609 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 610 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 611 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 612 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 620 रकबा 02 बबीघा 02 बिस्वा कुल किता 07 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि गोरा बाई बेवा उदयलाल, सूरजमल, राजमल, बरधीलाल, मोहनलाल पिता उदयलाल कौम ब्राह्मत के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में वादीगण क्रम 1 से 7 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा, वादी क्रम 8 से 12 प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी राजमल का 1/7 हिस्सा निहित है । पक्षकारान के मध्य अभी तक उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि को पृथक–पृथक दर्ज कराने तथा उक्त भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी वादीगण क्रम 1 से 7 हिस 1/7, वादी क्रम –8 से 12 प्रत्येक का हिस्सा 1/7 एवं प्रतिवादी राजमल का 1/7 हिस्सा घोषित किया जाकर नियमानुसार बंटवारा किया जावे और बंटवारे में प्राप्त भूमि का स्वतंत्र खाता दर्ज किया जावे । पक्षकारान के कब्जे की भूमि उनके हिस्से में रखी जावे । प्रतिवादी राजमल को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे और वादीगण को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. तत्पश्चात् वादी भोलाशंकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.07.2014 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया किया कि उक्त वादी भोलाशंकर प्रतिवादी राजमल के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद नहीं चलाना चाहता । अतः प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे विकल्प में वादी संख्या 1 का नाम वादी के रूप में हटाने की कृपा करें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.07.2015 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट राजमल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना ही तथा साक्ष्य लिये बिना ही तनकीयात कायम किये बिना ही खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार

पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 10.12.2014 को एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित करने में भी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

7. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात हैं उसमें श्री उदयलाल द्वारा लिखी गई अपंजीकृत असल तहरीर जो कि 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई है, पक्षकारान द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई अपंजीकृत असल आपसी सहमति बंटवारा वास्ते इकरारनामा, नकल जमाबन्दी संवत् 2045–48 खात संख्या 29, नकल जमाबन्दी सवं त 2057–60 खाता संख्या 78, नकल जमाबन्दी संवत् 2045–48 खाता संख्या 68, नकल जमाबन्दी सवंवत 2057–60 खाता संख्या 13, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2057–60 खसरा नम्बर 143 एवं 144 पेश किये और उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने एवं साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने का निवेदन किया । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2010 (1) सीसीसी पेज 149, एआईआर 1976 पेज 807, 2012 (3) पेज 93 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी अपीलान्ट स्वयं ने ही अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किये जाने में प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रोपर स्टाम्प पर नहीं हैं तथा दस्तावेज को पढने से ज्ञात होता है कि यह बंटवारा पत्र है, पारिवारिक समझौता पत्र नहीं है जो कि साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है तथा उक्त दस्तावेज पंजीकृत भी नहीं है । इस कारण उक्त दस्तावेज पर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित नहीं होने एवं अपंजीकृत होने से तथाकथत लेख को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

10. हमने उक्त प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमें श्री उदयलाल द्वारा लिखी गई अपंजीकृत असल तहरीर जो कि 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई है, पक्षकारान द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई अपंजीकृत असल आपसी सहमति बंटवारा वास्ते इकरारनामा न तो पंजीकृत हैं और न ही पूर्ण मुद्रांकित हैं । साथ ही इन दस्तावेजों का साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना भी आवश्यक है । इस कारण इन दोनों दस्तावेजों को अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया

जा सकता । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत एआईआर 1976 पेज 807, प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि इस रूलिंग के अनुसार पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते का यदि अभिस्वीकृति के लिए दस्तावेज तैयार किया जाता है तो उसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है परन्तु अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज पेश किया गया है वह पारिवारिक समझौते की अभिस्वीकृति के रूप में नहीं है, इस कारण यह रूलिंग इन दस्तावेजों पर लागू नहीं होती है । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुछ राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की गई हैं जिनमें बिरधीलाल जो कि वादी कम 1 से 4 के पिता हैं खातेदार दर्ज हैं और एक राजस्व रिकॉर्ड में गोकुल देवी पत्नी सूरजमल खातेदार दर्ज है । ये दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता इस कारण न्यायहित में उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना हम उचित समझते हैं । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज श्री उदयलाल द्वारा लिखी गई अपंजीकृत असल तहरीर जो कि 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई है व पक्षकारान द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई अपंजीकृत असल आपसी सहमति बंटवारा वास्ते इकरारनामा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद जवाब सरकार में लम्बित था और इसे राजस्व लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं थे और न ही किसी प्रकार का राजीनामा पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रकिया संहिता की पालना किये बिना ही प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । अपील अन्दर मियाद पेश की गई है । अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक की नियुक्ति की गई थी और उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं आने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है । राजस्व लोक अदालत में समस्त वादी उपस्थित नहीं हुए थे । वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में न तो बयान करवाये गये और न ही कोई शपथ पत्र पेश किया है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपने विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी पेश कर सकता था और सीधे अपील पेश कर सकता है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है । अपीलान्ट ने जो दस्तावेजात पेश किये हैं उनमें उनके पिता द्वारा निष्पादित तहरीर असल पेश की गई है । इसके अलावा पक्षकारान के द्वारा जो आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है उस बंटवारा वास्ते इकरानामा भी असल पेश किया है जिसमें आराजी का पक्षकारान की सहमति से विभाजन हो चुका है और पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वादी कम 1 रेस्पोडेन्ट भोलाशंकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें कथन किया गया था कि वादी ने किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और न ही किसी अभिभाषक को नियुक्त किया है । वादी कम 1 कोई दावा नहीं चलाना चाहता है । प्रस्तुत वाद फर्जी होने के कारण खारिज किया जावे । यह प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर 2005 (एससी) पेज 626 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और कथन किया कि एक पक्षीय निर्णय के विरूद्ध अपील भी पेश की जा सकती है और अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2012 सीसीसी पेज 80, 2015 (1) सीसीसी पेज 322, ए.आई.आर. 1974 (एससी) पेज 2069, 2000 (1) आरएलडब्ल्यू (1) (एससी) पेज 125 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा वकालतनामा भी पेश किया था । विधिक रूप से प्रतिवादी अपीलान्ट को 30 दिन के अन्दर जवाबदावा पेश कर देना चाहिए था जो उन्होंने पेश नहीं किया है । दिनांक 10.12.2014 तक उनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है और न ही वह स्वयं उपस्थित हुआ और न ही उनके वकील साहब उपस्थित हुए ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अपीलान्ट की जवाबदावा पेश करने की अवधि समाप्त हो चुकी थी । अपीलान्ट ने एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नरहीं किया है । अपीलान्ट ने जो दस्तावेज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश किये है वो दस्तावेज अपीलान्ट के पास पहले से ही मौजूद थे । अपीलान्ट को उक्त दस्तावेजों को अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा डिक्री निरस्त कराने के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । अपील की स्टेज पर वो ही दस्तावेज पेश किये जा सकते हैं जो साक्ष्य के मोहताज नहीं हैं । जहॉ तक भोलाशकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2014 का प्रश्न है उसके बाबत् अपीलान्ट को कोई आपत्ति करने का विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि वह अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके द्वारा उक्त वाद विड्रॉ किया गया है । वादीगण द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके रिवटल में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं । जमाबन्दी को गवाह से प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । वाद रिकॉर्डेड खातेदारान में बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया गया है । अधिकार घोषणा का अनुतोष केवल मात्र इस कारण जोडा गया है क्योंकि पक्षकारान की माता गौरा बाई पत्नी उदयलाल का खाते में नाम दर्ज है और उनका फौती नामान्तरकरण नहीं खोला गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार ही सभी सहखातेदारान के पक्ष में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2013 (4) डीएनजे (राज0) पेज 136, 1989 (1) आरएलआर पेज 384, 2014 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 1874, 1956 आरएलडब्ल्यू पेज 95 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने दिनांक 25.07.2014 को वकालतनामा पेश किया था और उसके बाद उनके उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 10.12.2014 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया । इसके बाद पेशी 11.02.2015, 15.04.2015 एवं 18.05.2015 को अपीलान्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने की कार्यवाही की गई । उक्त वाद दिनांक 03.07.2015 को राजस्व लोक अदालत में रखा गया । राजस्व लोक अदालत में वादी क्रम 8 सूरजमल, वादी क्रम 2 लोकेश एवं वादी क्रम 09 मोहनलाल ही उपस्थित हुए हैं इसके अलावा कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं । राजस्व लोक अदालत में उसी दिन दावा डिक्री किया गया है,

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । वादीगण द्वारा दावे के अनुसार जो अनुतोष चाहा गया है उसमें उदयलाल के पुत्रियों वादी क्रम 10, 11 एवं 12 को भी पक्षकार बनाया गया है व उनका हिस्सा भी मांगा है । पत्रावली में जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसमें तीनों पुत्रियॉ सहखातेदार नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इनके हिस्से के बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया है । यदि वादग्रस्त आराजी उदयलाल की मृत्यु के बाद पक्षकारान के खाते में दर्ज हुई है तो ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी क्रम 10, 11 एवं 12 का भी उसमें हित – निहित है परन्तु पत्रावली पर उदयलाल के खाते की नकल भी पेश नहीं की है । उदय लाल के खाते की नकल पेश होने के उपरान्त ही यह साबित होगा कि उक्त भूमि में उदयलाल की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियों वादी क्रम 10, 11 एवं 12 का कोई हित–निहित है अथवा नहीं ?

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी क्रम 1 भोला शंकर द्वारा दिनांक 25.07.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जाना अनिवार्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निरस्तारण नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया गया हो । इसके अभाव में सीपीसी की पालना में निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस प्रकरण में यदि प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हो गई थी तो वादी के बयान लिये जाकर पेश किये गये दस्तावेज को प्रदर्श करवाया जाना अनिवार्य था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपना निर्णय पारित करने में सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की है ।

15. अपीलान्ट ने अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं उसमें उदयलाल द्वारा लिखी गई अपंजीकृत असल तहरीर जो कि 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई है पक्षकारान द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई अपंजीकृत असल आपसी सहमति बंटवारा वास्ते इकरारनामा अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये हैं । इन दस्तावेजों का गवाहों से प्रमाणित होना अनिवार्य है और यह प्रमाणीकरण परीक्षण न्यायालय में ही हो सकता है, अपीलीय न्यायालय में नहीं । इन दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के उपरान्त विधिक रूप से यह भी देखा जाना है यह दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य हैं या नहीं ? यदि विधिक रूप से इन दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता और आराजी उदयलाल के खाते से पक्षकारों के खाते में आई है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के स्वत्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही तय किया जाना अनिवार्य है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर न्यायहित में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पैरा संख्या 13 से 15 में किये गये विवेचन के अनुसार अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावा एवं जवाबदावा के आधार वाद तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

न्यायालय श्रीमान

पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । साथ ही अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रति न्यायालय के रिकॉर्ड में रखते हुए मूल दस्तावेज अपीलान्ट को लौटाये जावें ।

17. निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/8/18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा